न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 15/2020
सीसीएमएस:– 2020/00144

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जसीदेवी पत्नि तलसाराम जाति कलबी निवासी हरियाली तह–सांचौर जिला सांचौर		1. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर जिला सांचौर। 2. शैलेसिंह पुत्र जबरसिंह। 3. तनेसिंह पुत्र जबरसिंह। 4. जंगालकवर पत्नि जबरसिंह जातियान राजपूत निवासीगण हरियाली तह–सांचौर जिला सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

तारीख रजू:– 14.12.2020

1. श्री सगताराम चौधरीं, प्रार्थी अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी संख्या 1 राजपैराकार उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 बावजूद तामिल के अनुपस्थित, जवाब बन्द।
4. अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 एक पक्षीय ।

निर्णय

दिनांक 18.06.2024

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया कि राजस्व मौजा हरियाली पटवार हल्का हरियाली तह–सांचौर में प्रार्थीया के खातेदारी कब्जा काश्तसुदा के खेत खसरा नम्बर मौजा हरियाली पटवारी हल्का हरियाली तह.–सांचौर में प्रार्थीया के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 193/2116 रकबा 10.10 हैक्टयर, किस्म गै.मु.सड़क, खसरा नम्बर 311 रकबा 2.51 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम के कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा आये हुए है। प्रार्थीया के उपरोक्त खेतो के पास अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 04 के खेत भी आये हुऐ है। अप्रार्थीगण हमेंशा सीमा बाबत विवाद करते रहते है, और अप्रार्थीगण झगडालू प्रकृति के है तथा हमारे बीच की सीमा तौड़कर बार–बार विवाद खड़ा करते रहते है इस कारण प्रार्थीया ने सीमा चिन्हो के ज्ञान हेतु तहसीलदार सांचौर के कार्यालय में उपस्थित होकर भूमि पैमाईश कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसपर भूमिधारी तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रार्थी के आवेदन को रजिस्ट्रर के पृष्ठ संख्या 49,क्रमांक संख्या 7 दिनांक 4.06.2019 को दर्ज किया गया और जांच तथा सीमाज्ञान के लिए हल्का पटवारी सांचौर को आदेशित किया गया।

तहसीलदार सांचौर के उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी हरियाली मौके पर आये तथा मौका देखा तो मौजा हरियाली पटवारी हल्का हरियाली के खेत खसरा नम्बर 311,193/2116 की पैमाईश मौके पर उपस्थित मौतबिरानों के रूबरू भूमि की पैमाईश जरीब से नापकर की तथा खसरा नम्बर 311 व 193/2116 की माठ कायम की व खातेदार द्वारा पैमाईश पर सहमति जताई। मौका फर्द मौके पर बनाई गई और पढ़कर सुनाई गई व अप्रार्थीगण को सीमाओ से अवगत करवा दिया था।

इसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण बार–बार माठे तोड़कर प्रार्थीया के खेतो पर अतिक्रमण करके कब्जा करने की काशिश करते रहते है। इस कारण सीमा विवाद निपटारे हेतु उपरोक्त खेतो के चारो तरफ पत्थर गढ़ी की जानी न्यायहीत में आवश्यक है । प्रार्थीया उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

भूमि का खातेदार तथा अपनी भूमि की पैमाईश कर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाने का कानूनी अधिकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का माननीय अदालत में पेश किया।

प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2020 को दर्ज रजिस्ट्रर होकर अप्रार्थीगण को जरिए नाटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 राज पैरोकार उपस्थित, अप्रार्थीगण संख्या 2 बावजूद तामिल के अनुपस्थित, जवाब बन्द किये गये। व अप्रार्थीगण संख्या 3, व 4 के विरूद्व लगातार अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया।प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। प्रार्थीगण ने मौजा हरियाली पटवार हल्का हरियाली तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टयर,, खसरा नम्बर 311 रकबा 2.51 हैक्टर भूमि की पैमाईश कर पत्थर गढ्ढी करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना के साथ संलग्न जमांबदी, नक्शा व हल्का पटवारी की मौका फर्द के अनुसार प्रार्थीया के उक्त खातेदारी खेत की माठ के अलामात व सीमाज्ञान कर पत्थर गढढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा पेश धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मौजा हरियाली पटवार हल्का हरियाली तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 193/2116 रकबा 0.10 हैक्टयर,, खसरा नम्बर 311 रकबा 2.51 हैक्टर, भंली भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ओर प्रार्थीया को निर्देशित किया जाता है कि राशि 1000 रूपये कमिश्नर शुल्क अदा करे। तहसीलदार साचौर को निर्देशित किया जाता है कि खातेदारान के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111–128 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करे तथा प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे पर उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा विभाजक चिन्ह रोपित करावे। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इस कदर निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उक्त आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner